उत्तरांचल (उ.प्र. जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004

(उत्तरांचल विधेयक संख्या 02 सन्, 2004)

उत्तरांचल (उ.प्र. जोत चकबन्दी अधिनियम,1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए यह

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उ.प्र. जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् उपधारा 6क का बढ़ाया जाना

2. **उत्तरांचल (उ.प्र. जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में एक नई धारा 6–क का बढ़ाया जाना**– उत्तरांचल (उ.प्र.जोत चकबन्दी अधिनियम,1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात–

"6–क

(1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 4–क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरण निर्विवाद मामले को चकबन्दीकर्ता द्वारा और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामले को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी विहित की जाये, निपटाया जायेगाय

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात इस धारा के अधीन किसी मामले को न तो ग्रहण किया जायेगा, न ही जारी रखा जायेगा या न ही निपटाया जायेगा।

(2) उपधारा(1)के अधीन किया गया कोई आदेश, धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नही करेगा।"